तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	सुमनी देवी बनाम भूमियारी पत्थरगढ़ी प्र.न. - 121/2024	
12-05-25	वकुलाय उभय पक्षकारान् उप0। वकील अप्रार्थीगण श्री पूरण मल शर्मा एड0 ने अप्रार्थी सरव्या 12 द्वारा पेश जवाब को ही अप्रार्थीगण सरव्या 10, 14, 15, 17 से 20 की ओर से भी जवाब प्रा0 पत्र समझा जाने बाबत आदेशिका पर अंकित किया। वकील अप्रार्थीगण की सहमति पर अप्रार्थी सं. 12 द्वारा पेश जवाब को अप्रार्थी सं. 10, 14, 15, 17 से 20 की ओर से भी जवाब समझे जाने की स्वीकृति दी जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 26-05-2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	अप्रार्थी नं. 12 द्वारा पेश जवाब (आवेदन पत्र) को ही अप्रार्थीगण नं. 10, 14, 15, 17 से 20 की ओर से भी जवाब समझा जावे। 12.5.2025 (पूरणमल शर्मा एड)
26.05.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पेश कर दिये जाने से वकील प्रार्थीया ने सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 10.06.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
10.06.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी स्थापित किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाती है। नियमानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
121 / 2024	2024 / 408	12.11.2024	10.06.2025

उनवान प्रकरण

झूमली देवी पत्नि परसाराम आयु 75 वर्ष जाति जाट निवासी कल्याणपुरा –थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

––प्रार्थीया

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला – सीकर राज0।
2. छीतरमल पुत्र बीरबल
3. नाथी देवी पत्नी बीरबल (नाम हजफ दिनांक 05.05.2025)
4. प्रहलाद पुत्र बीरबल

   जाति माली निवासी बड़ी ढ़ाणी मालियान थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

5. कमली देवी पत्नी रामगोपाल जाति जाट निवासी डेरावाली कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
6. सुरेश कुमार पुत्र रघुनाथ प्रसाद जाति अहीर निवासी ओफाला प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0
7. कौशल्या देवी पत्नी कमलेश
8. गीता देवी पत्नी गोविन्दराम
9. जमना पत्नी नाथूराम (नाम हजफ दिनांक 05.05.2025)
10. झूमा पुत्री नाथूराम
11. दाफू पुत्री रूड़ाराम
12. प्रकाशचन्द्र पुत्र नाथूराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

13. प्रेम पुत्री रूड़ाराम

14. बाबूलाल पुत्र नाथूराम

15. विमला पुत्री नाथूराम

16. सुण्डी देवी पुत्री रूड़ाराम

17. सरदार पुत्र नाथूराम

18. सरदार मल पुत्र नाथूराम

19. सीता पुत्री नाथूराम

20. पतासी पुत्री नाथूराम

समस्त जाति माली निवासी ग्राम बड़ी ढ़ाणी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——अप्रार्थीगण

उपस्थित :—

श्री सुरेश कुमार लाम्बा, एड0 — प्रार्थीया की ओर से।

श्री मनोज कुमार शर्मा, एड0 अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 की ओर से।

श्री पूरण मल शर्मा, एड0 अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर— अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्व ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

2094/2 रकबा 0.2800 हैक्टर भूमि का प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर अपनी भूमि पर मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थीया ने उक्त कृषि भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक/भू.अ./11 दिनांक 08.05.2023 की पालना मे सीमाज्ञान दिनांक 29.05.2023 को पटवारी हल्का थोई द्वारा किया गया है। सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। प्रार्थीया अपनी उक्त वर्णित भूमियों की विधिवत रूपेण पत्थरगढी करवाना चाहती है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 20 प्रार्थीया की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की उक्त वर्णित कृषि भूमि के सींव जोड़ पड़ौसी खातेदार काश्तकार है जो संख्या व बल में अधिक है एंव लड़ाकू एंव झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है। जो आये दिन प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि की सींव डोल को नष्ट कर अतिक्रमण करते रहते है। इसलिए इनको आवश्यक पक्षकार अप्रार्थीगण बनाया गया है। प्रार्थीया की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है। जिसकी पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.05.2023 के अनुसार किये जाने का निवेदन प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 5 से 11, 13 से 20 की नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 10, 14, 15, 17 से 20 की ओर से श्री पूरण मल शर्मा एड0 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का पेश करने पर बाद सुनवाई उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अप्रार्थीगण संख्या 10, 14, 15, 17 से 20 के विरूद्ध दिनांक 17.01.2025 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त की जाकर उक्त अप्रार्थीगण को जवाब देही का समुचित अवसर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से श्री पूरण मल शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

जवाब पेश किया तथा अप्रार्थीगण संख्या 10, 14, 15, 17 से 20 की ओर से भी उक्त जवाब को ही पढ़े जाने बाबत आदेशिका पर अंकित किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 9 के फौत होने पर उनके वारिसान के पूर्व से ही रिकार्ड पर उपलब्ध होने से अप्रार्थीगण संख्या 3 व 9 का नाम हजफ किया जाकर शीर्षक में लाल स्याही से अंकित किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हो जाने से वकील प्रार्थीया ने सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में वर्णित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए कथन किया कि पत्थरगढ़ी करवाये जाने वाले खसरा नम्बर 2094/2 रकबा 0.2800 हैक्टर की खातेदारी अकेले प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान पूर्व में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से पटवारी हल्का थोई के द्वारा दिनांक 29.05.2023 को किया गया था। अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। जिनको आवश्यक पक्षकार सुनवाई हेतु बनाया गया है। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीया के द्वारा किया गया है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया कि उक्त वादग्रस्त भूमि का किसी भी राजस्व अधिकारी या कर्मचारी ने विधिवत सीमाज्ञान नहीं किया एंव ना ही इस भूमि के पड़ौस की भूमियों में जरीब डालकर नाप जोख की गई है, ना ही किसी भी भूमि में कोई निशान या सीमा निश्चित करके जरीब चलाकर चतुर्सिमाओं पर चिन्ह लगाकर सीमाओं को चिन्हित ही किया गया। प्रार्थीया ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर बाला-बाला एकान्त में मिथ्या साक्ष्य का गठन करने के दुराशय से पड़ौसी राजस्व ग्राम बड़ी ढ़ाणी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2396 चाह, 2398, 2397 के चौमेडा से फीता चलाना वर्णित करते हुए खसरा नम्बर 2094/2 तन् ग्राम थोई की दक्षिण सीमा कायम कर प्रार्थीया का सीमाज्ञान कराने की गलत मौका रिपोर्ट बनाई है। नक्शा ट्रेस में

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

14-बाबूलाल पुत्र [illegible]

अंकित भूमियों एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट में अंकित भूमियों के विरोधाभाषी होने से इस रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढ़ी करने का आदेश जारी किये जाने का विरोध करते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पृथम दृष्टवा ही खारिज किये जाने एंव पुनः विधि के प्रावधानों की पालना करवाते हुए सीमाज्ञान करवाये जाकर नई सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश किये जाने का आदेश दिये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में किया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2094/2 रकबा 0.2800 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अकेले प्रार्थीया के नाम रिकार्डेड दर्ज होना प्रकट होता है। जिसका सीमाज्ञान प्रार्थीया के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का थोई द्वारा दिनांक 29.05.2023 को करवाया जाना प्रकट होता है। उक्त दिनांकित 29.05.2023 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार अपनी भूमियों की पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का पेश किया जाना प्रकट होता है। जिसके लिए प्रार्थीया ने अपने पड़ौसी सींव जोड़ खातेदार काश्तकारान् को आवश्यक पक्षकार अप्रार्थीगण भी बनाया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया द्वारा स्वच्छः हाथों से न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 29.05.2023 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 11/एल.आर./2023 दिनांक 08.05.2023 की अनुपालना में विधिवत तरीके से पटवारी हल्का थोई द्वारा मौके पर जाकर सीमाज्ञान किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का थोई द्वारा दिनांक 29.05.2023 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 2094/2 रकबा 0.2800 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम थोई की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पड़ौसी खातेदारान्/अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए व उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.05.2023 के अनुसार बिना सींव डोल को हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है। उक्त पत्थरगढ़ी इस आदेश की पालना में किसी प्रकार के कब्जे को हटाने/दिलाने की कार्यवाही नहीं की जावेगी। मुताबिक निर्णय पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:58:32 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)